

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून

उत्तराखण्ड में सहकारिता विभाग में पदकोड-67 पदनाम—सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 के रिक्त पदों पर भर्ती के अन्तर्गत द्वितीय चरण की अभिलेख सत्यापन हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन सं0 11944/उप्राशिप/स0ग0भ0- 67 /द्वि0अ0सत्या0/2016-17 दिनांक: 16/02/2017

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 227 आफ 2017 में दिये गये अंतरिम आदेश एवं निबंधक सहकारी समीतियाँ, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के पत्र सं0 4888/स्था0/सह0निरी0वर्ग -2 नियुक्ति/2016-17 दिनांक 15/10/2016 के माध्यम से पदकोड-67 पदनाम सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 में 6 रिक्तियाँ पर चयन किये जाने हेतु मेरिट में अगले अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 28 फरवरी 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून में अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है:-

पदकोड- 67 पदनाम— सहकारी निरीक्षक वर्ग-2

क्रंसं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी/ उप श्रेणी	जन्म तिथि	अनुक्रमांक	प्राप्तांक	
1.	KEDAR DUTT	PURUSHOTTAM DATT	GEN	03-07-1983	1676113225	75	
2.	SUNIL DATT	SHRI BHALLABH	GEN	06-06-1986	1676215099	75	
3.	PRAMOD KUMAR JOSHI	BASANT BALLABH JOSHI	GEN	20-03-1992	1676209089	75	
4.	GOVIND RAM	DHANI RAM	SC	02-07-1988	1676204201	71.25	
5.	PRITI RATHI	RAJENDER KUMAR	OBC	05-02-1991	1676132522	70	
6.	HEMA	ANAND SINGH	GEN	WO	01-07-1981	1676207066	69.75

उपरोक्तानुसार अभिलेख सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार समस्त अभिलेख सहित उपस्थित हों:—

- उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र की 2-2 छायाप्रति एवं मूल प्रति। (आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2014 से पूर्व का जारी हो।)
- समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, उपाधियों एवं अंकतालिकाओं की 2-2 छाया प्रतियाँ एवं मूल प्रतियाँ।
- पर हेतु वांछित अनुभव की 2-2 छायाप्रतियाँ एवं मूल प्रतियाँ।
- समस्त आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों (आरक्षित वर्ग GEN(WO,PH,EX,DFF), OBC, SC,ST (WO,PH,EX,DFF) के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है) की 2-2 छाया प्रतियाँ एवं मूल प्रतियाँ।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण पत्र की 2 छायाप्रति एवं मूल प्रतियाँ।
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो नवीनतम फोटोग्राफ।
- लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र मूल रूप में।
- निर्धारित प्रारूप पर भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में (परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर प्रारूप उपलब्ध है)।
- परिषद् द्वारा आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश पत्र जारी किये गये हैं अतः अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में उपस्थित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि वे पद हेतु समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं अथवा नहीं।

नोट:— अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से बुलावा पत्र प्रेषित किया गया है। अतः अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से परिषद् कार्यालय में सम्पर्क न करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता का अवलोकन अवश्य कर लेवें। अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित करने का तात्पर्य अंतिम रूप से नियुक्ति होना नहीं है।

सचिव